रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 502] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 15, 1985/कार्तिक 24, 1907
No. 502] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 15, 1985/KARTIKA 24, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

परिवहन मंत्रालय

(जल परिवहन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 1985

का. आ. नि. 849 (अ).—नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 63 की उपधारा (10) के खण्ड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाना चाहती है, उक्त अधिनियम की धारा 133 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर उस तारीख से विचार किया जाएगा जिसको उक्त प्रारूप वाले राजपत्र की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा।

किन्हीं ऐसे आक्षेपों या सुझावों पर, जो उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर या उससे पहले उक्त प्रारूप नियमों की बाबत किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार विचार करेगी।

प्रारूप नियम

केन्द्रीय सरकार, मोटर-यान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 63 की उप-धारा (10) के खण्ड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 63 की उपधारा (7) के अधीन पर्यटक यानों के जारी किए जाने वाले परमिटों की अतिरिक्त शर्तों को विहित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम :—इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यटक यान (परमिट की अतिरिक्त शर्तें) नियम, 1985 है।

2. परमिट की अतिरिक्त शर्तें :—अधिनियम की धारा 63 की उप-धारा (7) के अधीन किसी पर्यटक यान को मंजूर किए गए प्रत्येक परमिट की अतिरिक्त शर्तें निम्नलिखित होंगी, अर्थात् :—

(i) परमिट धारक पर्यटक यान के परिचालक या अपने प्राधिकृत एजेंट को उन सदस्यों के नाम और पूरा पता सहित एक सूची तैयार करने को कहेगा जो किसी पर्यटक यान का संयुक्त रूप से किसी सामान्य प्रयोजन जैसे तीर्थ यात्रा, भ्रमण यात्रा या पर्यटक महत्व के स्थानों के दर्शन या सामाजिक, धार्मिक या शैक्षिक प्रकृति के सम्मेलनों में शामिल होने के लिए उपयोग करने का आशय रखते हैं।

(ii) पर्यटकों की सूची की एक प्रति, जो कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा अथवा यात्रा शुरू किए जाने वाले क्षेत्र के थाना के एक अधिकारी द्वारा अथवा संबंधित क्षेत्र के राज्य परिवहन प्राधिकारी/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित हो, परमिट जारी किए जाने वाले प्राधिकरण के पास अभिलेख के लिए रजिस्ट्रीकृत डाक भेजा जाएगी । पर्यटन यान का परमिट धारक यात्रा के दौरान यात्रियों की सूची की दो प्रति अपने साथ रखेगा और राज्य मे परिवहन प्राधिकारी द्वारा जब कभी अपेक्षित हो, उन्हें निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करेगा ।

(iii) पर्यटक यान, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि यान दो मास की अवधि से अधिक समय तक अपने राज्य से बाहर नहीं रहेगा, अपनी यात्रा वृत्ताकार या अन्यथा, अपने राज्य मे प्रारम्भ करेगा या समाप्त करेगा । परमिट धारक को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि पर्यटक यान की अपने राज्य मे प्रत्येक वापसी की सूचना परमिट जारी करने वाले प्राधिकरण को दी जाए ।

(iv) पर्यटक यान परमिट की प्रारंभिक मंजूरी के समय दो वर्ष से अधिक पुराना नहीं होगा और किसी भी नियत समय पर सात वर्ष से अधिक पुराना नहीं होगा ।

(v) परमिट धारक, अपने राज्य के भीतर, नियमित आधार पर दो या दो से अधिक स्थानों के बीच चलाने का हकदार नहीं होगा :

परन्तु पर्यटन यान इस शर्त पर कि यान अपने राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा अनुमोदित पर्यटक/ऐतिहासिक/धार्मिक महत्व के कम से कम पांच स्थानो के दर्शन के लिए चार्टरित यात्रा पर चलती है और चार्टरित यात्रा का पहले से सम्यक् विज्ञापन किया जाता है । जो केवल वृत्ताकार यात्राओं के लिए अपने राज्य में ही इस्तेमाल किए जाते है ।

(vi) परमिट धारक या उसका प्राधिकृत एजेंट यात्रियों से लिए गए धन के बदले प्राप्ति रसीद जारी करेगा और उसकी अधकटी अपने पास पर्यटक यान मे उपलब्ध रखेगा और सम्बन्धित राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों के परिवहन विभागों के अधिकारियों और पुलिस द्वारा मांग की जाने पर निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करेगा ।

(vii) राज्य की गाड़ियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बस स्टैंड पर पर्यटक यान को पार्क नहीं किया जाएगा और ऐसे बस स्टैंड से इन गाड़ियों को चलाया भी नहीं जाएगा ।

(viii) परमिट धारक पर्यटक यान पर पीले रंग का एक बोर्ड लगाएगा जिस पर अंग्रेजी और हिंदी में और यदि वह चाहे तो अपने राज्य की क्षेत्रीय भाषा में भी, काले अक्षरों में "पर्यटक यान" लिखा रहेगा ।

(ix) परमिट धारक, पर्यटक यान को मंजिली गाड़ी के रूप में नहीं चलाएगा ।

(x) परमिट धारक यह देखेगा कि उसके यान का प्रचालक एक दिन प्रतिदिन की लाग बुक रखता है जिसमें की नई यात्रा का प्रारम्भ का और अंतिम स्थान, भाड़े पर लेने वाले का नाम और पता, आदि उपदर्शित किए जाते हैं । परमिट धारक हर तीन मास पर अपने राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकरण या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को यह जानकारी देगा । लाग बुक और अन्य अभिलेख तीन वर्ष की अवधि तक परिरक्षित रखे जायेंगे और मांग करने पर प्राधिकरण को उपलब्ध कराए जाएंगे ।

स्पष्टीकरण :—इन नियमो मे "अपना राज्य" से वह राज्य अभिप्रेत है, जिसने मोटर-यान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 63 की उप-धारा (7) के अधीन परमिट मंजूर किया है ।

[फाइल स. टी. डब्ल्यू/टा. जी. एम (53)/85]

अ. प्र. सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TRANSPORT

(Department of Surface Transport)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th November, 1985

G.S.R. 849(E).—The following draft of rules which Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (10) of section 63 of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939) is hereby published as required by sub-section (1) of section 133 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the Gazette copies containing the said draft rules are made available to the general public.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules on or before the aforesaid period will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

In exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (10) of section 63 of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939), the Central Government hereby makes the following rules to prescribe the additional conditions of permit issued to tourist vehicles under sub-section (7) of section 63 of the said Act, namely :—

1. Short title.—These rules may be called the Tourist Vehicles (Additional Conditions of Permit) Rules, 1985.

2. Additional Conditions of Permit.—The following shall be additional conditions of every permit granted to a tourist vehicle under sub-section (7) of section 63 of the Act, namely :—

(i) The permit holder shall cause his authorised agent or operator of the tourist vehicle to prepare a list of tourists giving full names and addresses of the tourists who intend to use the tourist vehicle jointly for tourist purposes such as going on pilgrimage, excursion tours, or to visit places of tourist importance, or attending gatherings of social, religious or educational nature, etc.

(ii) A copy of the list of tourists, duly attested by the Executive Magistrate, or by an officer of Police Station of the area from which the tour is to emanate, or any Gazetted Officer of the State Transport Authority/Regional Transport Authority of the concerned area, shall be sent by Registered AD Post to the

Authority issuing the permit, for record. Two attested copies of the list of tourists shall also be carried by the operator of the tourist vehicle and produced for inspection whenever required by the enforcement officials of the Transport Departments during the journey in any State.

(iii) The tourist vehicle shall commence its journey, circular or otherwise, in the Home State, subject to the condition that the vehicle shall not remain outside the Home State for a period more than two months. The permit holder shall see that the every return of the tourist vehicle to the Home State is reported to the Authority issuing the permit.

(iv) The tourist vehicle shall not be older than two years at the time of initial grant of permit and shall not be older than seven years at any given point of time.

(v) The permit holder shall not be entitled to operate between two or more than two points within the Home State on a regular basis :

Provided that the tourist vehicle can be used for the purpose of circular tours lying exclusively in the Home State on the condition that the vehicle operates under a chartered tour approved by the Tourist Department of Home State on visit a minimum of five places of tourist|historical|religious importance and the chartered tour is duly advertised beforehand.

(vi) The permit holder or his authorised agent shall issue a receipt to the hirer of the amount paid to him and the counterfoil of the same shall be kept availaable in the tourist vehicle and presented for inspection, on demand by the Police and the enforcement officials of the Transport Departments of the respective States and Union Territories.

(vii) The tourist vehicles shall not be parked on any bus stand used by stage carriages and shall not operate from such bus stand.

(viii) The permit holder shall display on the tourist vehicle a board in yellow with letters in black displaying the words "Tourist Vehicle" in English and Hindi and also, if he so prefers, in regional language of the Home State.

(ix) The permit holder shall not run the tourist vehicle as a stage carriage.

(x) The permit holder shall see that the operator of the vehicle maintains a day to day log book indicating the journey performed, the starting and finishing points, name and address of the hirer, etc. The permit holder shall furnish this information to the Authority which has granted the permit, every three months. The log book and the other records shall be preserved for a period of three years and shall be made available to the Authority on demand.

Explanation:—In these rules "Home State" means the State which has granted the permit under subsection (7) of section 63 of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939).

A. P. SINH, Jt. Secy.
[File No. TW|TGM(53)|85]

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985